



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-15092026-276223
CG-TL-E-15092026-276223

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4871]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12, 2026/भाद्र 21, 1948

No. 4871]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 2026/BHADRA 21, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 11 सितम्बर, 2026

का.आ. 5061(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20(ए) की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 16 जुलाई, 2026 (इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), संख्यांक का.आ. 3968, 16 जुलाई, 2026 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् तेलंगाना राज्य के निर्मल जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् “मुदखेड-डोन दोहरीकरण परियोजना” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचारपत्रों, “द हिंदु, हिंदी मिलाप और साक्षी” में 28 जुलाई, 2026 को प्रकाशित किया गया था;

और चूंकि निर्मल जिले के रवींद्रपुर और बासर गांव से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचारोपरांत तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ई) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण : यात्री और माल सुविधा के लिए निर्मल जिले के सीमा के भीतर मुदखेड-डोन सेक्शन के बीच रेलपथ दोहरीकरण.

मंडल का नाम: बासर :

क्र.सं.	भूमि धारक का नाम	एंजॉयर	सर्वेक्षण सं.	भूमि अधिग्रहण	गांव
1	संतोष सोमानी सुपुत्र राम गोपाल	संतोष सोमानी सुपुत्र राम गोपाल	40/आ	एकड़ 0-07.75 गुंटा	रवींद्रपुर
2	दुब्बाका दशरथ गौड़ सुपुत्र गंगा गौड़	पड़वा (बंजर)	544/ई	एकड़ 0-03 गुंटा	बासर
			कुल	एकड़ 0-10.75 गुंटा	

[फा. सं. W.Con.182/SRP-06/MUE-DHNE/23-24/247/20E/11092026]

बी.कृष्णा रेड्डी, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 11th September, 2026

S.O. 5061(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 3968 dated the 16th July, 2026 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3 Sub-section (ii), dated the 16th July, 2026 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Mudkhed – Dhone doubling project in the District of Nirmal in the State of Telangana.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “**THE HINDU, HINDI MILAP and SAKSHI**” dated 28 July 2026 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, for Ravindrapur & Basar Villages of Nirmal district, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances:

SCHEDULE

Description of Land in Acquisition: Doubling track between Mudkhed – Dhone Section within the limits of Nirmal District Jurisdiction for passenger and freight facility.

Name of The Mandal: Basar :

Sl. No.	Name of the Land Holder	Enjoyer	Sy.No.	Land Acquisition	Village
1	Santosh Somani S/o Ram Gopal	Santosh Somani S/o Ram Gopal	40/९	Ac 0-07.75 Gts	Ravindrapur
2	Dubbaka Dasharath Goud S/o Ganga Goud	Padava (Fallow)	544/९३	Ac 0-03 Gts	Basar
			Total	Ac 0-10.75 Gts	

[F. No. W.Con.182/SRP-06/MUE-DHNE/23-24/247/20E/11092026]

B.KRISHNA REDDY, Chief Engineer/Con-III